रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267273
CG-DL-E-30102025-267273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2025/ कार्तिक 5, 1947
No. 309] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2025/ KARTIKA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2025

सं. 28/2025–26

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.84(ख) में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/032/एएम25/पीसी–4.— समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. एचबीपी–2023 के पैरा 4.84(ख) में संशोधन निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	पैरा संख्या	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
1	7.84(ख)	निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के अंतर्गत प्रत्येक खेप के आयात की तिथि से 120 दिनों के भीतर पूरा करना अपेक्षित होगा। तथापि, निर्यात दायित्व अवधि सोने, प्लेटिनम और चाँदी से बने फाइंडिंग्स, माऊंटिंग्स के आयात और	निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के अंतर्गत प्रत्येक खेप के आयात की तिथि से 120 दिनों के भीतर पूरा करना अपेक्षित होगा। तथापि, निर्यात दायित्व अवधि सोने, प्लेटिनम और चाँदी से बने फाइंडिंग्स, माऊंटिंग्स के आयात और आभूषणों के

		आभूषणों के निर्यात तिथि से 180 दिनों की होगी। निर्यात दायित्व अवधि को आगे बढ़ाया जाना अनुमत नहीं होगा। **अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक निर्यात पूरा होने के बाद पुनःपूर्ति के रूप में सोना भी आयात कर सकता है।**	निर्यात तिथि से 180 दिनों की होगी। निर्यात दायित्व अवधि को आगे बढ़ाया जाना अनुमत नहीं होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: यह संशोधन प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.84 (ख) को विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.36 (क) के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd October, 2025

No. 28 /2025-2026

Subject: - Amendments in Para 4.84 (b) of Handbook of Procedures 2023.

F. No. 01/94/180/032/AM25/PC-4.— In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment with immediate effect.

2. The amendments in Para 4.84 (b) of HBP-2023, are as under:

S. No.	Para No.	Existing Para	Amended Para
1	4.84 (b)	Export Obligation will be required to be fulfilled within 120 days from date of import of each consignment against Authorisation. However, Export Obligation period shall be 180 days from date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery. No further extension in Export Obligation period will be allowed. **Advance Authorisation holder may also import gold as replenishment after completion of exports.**	Export Obligation will be required to be fulfilled within 120 days from the date of import of each consignment against Authorisation. However, Export Obligation period shall be 180 days from the date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and to export of jewellery. No further extension in Export Obligation period will be allowed.

Effect of this Public Notice: This amendment has been introduced to align the Procedure in Para 4.84(b) of Handbook of Procedures with Para 4.36(a) of Foreign Trade Policy.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA